

प्रेषक ,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक : 19 अप्रैल, 2024

विषय:- सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में ।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या-1/2019-2-ई.एम./2019-का-4-2019 दिनांक 24 मई, 2019 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27 जुलाई, 2021, दिनांक 17 मई 2022 एवं दिनांक 16 नवम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर्मचारी संगठनों की मांगों/ समस्याओं के संबंध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर इनका निराकरण किये जाने के संबंध में सुस्पष्ट निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कार्यालयों में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की प्रणाली लागू है, वहां पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों, यथा- अध्यक्ष/महामंत्री/सचिव को शासन/विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के स्तर पर उनकी मांगों के निराकरण के लिये बैठक हेतु समय निर्धारित किये जाने पर संबंधित नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के दृष्टिगत यथापेक्षित पूर्वाह्न अथवा अपराह्न में संघ के पदाधिकारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट प्रदान किया जाये।

कृपया उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in/> से सत्यापित की जा सकती है।